प्रेस नोट थाना सदर बाजार
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 10.04.2026

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग मे वाँछित 02 नफर अभियक्तो व 01 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम , मिशन शक्ति फेज 5 अभियान व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग मे वाँछित तीन अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 03.02.2026 को मा0 न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस के अनुपालन में वादी गुड्डू सिंह यादव पुत्र स्व0 लालाराम निवासी मोहल्ला बहादुरपुरा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अभियुक्तगण 1. जमकू पुत्र नामालूम 2. ठाकुर पुत्र नामालूम 3. पार्वती पत्नी नामालूम 4. अभिषेक पुत्र नामालूम निवासीगण मोहल्ला बहादुरपुरा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने वादी के भाई के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोशी की अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में मु0अ0सं0 56/2026 धारा 115(2)/103(1)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। घटना की सूचना उच्चाधिकारीगण को दी गई, जिनके निर्देशानुसार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 10.04.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा से प्रस्थान कर जेल के पास संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण अपने घर पर रखा सामान लेने आने वाले हैं। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा लोधीपुल जे.सी. बाबा पेट्रोल पम्प के निकट बहादुरपुरा जाने वाले खडंजा मार्ग पर घेराबंदी की गई, जहाँ महिला पुलिसकर्मियों द्वारा महिला अभियुक्ता को तथा पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा पुरुष अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक अभियुक्त ने अपना नाम ठाकुर प्रसाद पुत्र स्व0 रामरत्न निवासी मोहल्ला बहादुरपुरा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर (मूल पता ग्राम पेडमा थाना शाहबाद जनपद हरदोई) उम्र लगभग 38 वर्ष बताया, जिसके कब्जे से 610 रुपये नगद, एक पन्नी में कुछ कागजात व फोटो, एक सफेद रंग का लाल धारियों वाला साफा तथा एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम जमकू उर्फ जमलेश उर्फ विमलेश पुत्र स्व0 रामरत्न निवासी उपरोक्त उम्र लगभग 27 वर्ष बताया, जिसके कब्जे से 410 रुपये नगद तथा एक रेल टिकट (अम्बाला से शाहजहाँपुर) बरामद हुआ। महिला अभियुक्ता ने अपना नाम पार्वती उर्फ सदावती पत्नी ठाकुर प्रसाद निवासी उपरोक्त उम्र लगभग 40 वर्ष बताया। पकड़े गए अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी लिखित रूप से बताते हुए तथा उनके जुर्म एवं धाराओं से अवगत कराते हुए समय करीब 12:55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. ठाकुर प्रसाद पुत्र स्व0 रामरत्न नि0 मो0 बहादुरपुरा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर मूल पता ग्राम पेडमा थाना शाहबाद जनपद हरदोई उम्र करीब 38 वर्ष

2. जमकू उर्फ जमलेश उर्फ विमलेश पुत्र स्व0 रामरत्न नि0 मो0 बहादुरपुरा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर मूल पता ग्राम पेडमा थाना शाहबाद जनपद हरदोई उम्र करीब 27 वर्ष
3. पार्वती उर्फ सदावती पत्नी ठाकुर प्रासद नि0 मो0 बहादुरपुरा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर मूल पता ग्राम पेडमा थाना शाहबाद जनपद हरदोई उम्र करीब 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 56/2026 धारा 115(2)/103(1)/110 बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ठाकुर प्रसाद

1. मु0अ0सं0 515/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 56/2026 धारा 115(2)/103(1)/110 बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 सिद्दार्थ भाटी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
3. महिला उ0नि0 नम्रता सिंह थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
4. महिला उ0नि0 साक्षी चौधरी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
5. आरक्षी 2271 रोहित कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
6. आरक्षी 2630 नितिन कौशिक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
7. महिला आरक्षी 2404 नीतू मलिक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर